

12/12/25

पलावकी मूल वाद के साथ तयब की गई। आधि-
उक्त पक्षमात्र उप। मूल वाद स्वीकार किने
जाते से वल पलावकी में कोई कारिवाही शेष
नही रहती है। अला प्रकृशक को इनी स्तर पर
शेष विना जाना है। पलावकी किंवात गुना
दीकत चकक से मस है।

निर्णय सुनाया गया। -